



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 112-2021/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 13 जुलाई, 2021 (22 आषाढ़, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 35/ह०अ० 1/2003/धा० 3/2021, दिनांक 13 जुलाई, 2021— लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए विचार-विमर्श करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	375-376
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग—III

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 जुलाई, 2021

संख्या का०आ०35/ह०अ०1/2003/धा०3/2021.— हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 (2003 का 1), की धारा 3 की उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन यथा अपेक्षित लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता तथा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ मुख्य मंत्री, हरियाणा द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

विजय वर्धन,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Notification

The 13th July, 2021

No. S.O.35/H.A.1/2003/S.3/2021.— In pursuance of the provisions contained in sub-section(2) of section 3 of the Haryana Lokayukta Act, 2002 (1 of 2003), a consultation has been held by the Chief Minister of Haryana with the Speaker of Haryana Legislative Assembly, Leader of Opposition and Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court for the appointment of Lokayukta as required under the first proviso to sub-section(1) of section 3 of the said Act.

VIJAI VARDHAN,
Chief Secretary to Government, Haryana.